भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 5044
उत्तर देने की तारीख : 25.03.2021

अल्पसंख्यक योजनाओं के अंतर्गत निधि का आबंटन/उपयोग

5044. श्री हाजी फज़लुर रहमानः
श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय 31 अक्तूबर, 2019 तक सभी योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए 4700 करोड़ रु. के बजट अनुमान की तुलना में केवल 1291 करोड़ रु. या लगभग 27.5% ही व्यय कर सका है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत वित्तीय वर्ष 2020–21 और 2020–21 और आज की तिथि तक मंत्रालय को कुल कितनी निधि आबंटित की गई और कितनी निधि व्यय की गई है तथा व्यय नहीं की गई निधि का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यकों के बीच सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने संबंधी जागरूकता फैलाने के लिए सरकारी योजनाओं के प्रचार पर कुल कितनी निधि व्यय की गई है;

(घ) क्या पूर्व वित्तीय वर्ष की तुलना में वर्ष 2021–22 हेतु निधि का प्रस्तावित आबंटन घटा दिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) निर्धारित समय–सीमा के अन्दर आबंटित धनराशि के पूर्ण उपयोग हेतु मंत्रालय द्वारा कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री मुख्तार अब्बास नकवी)

(क) 31 मार्च, 2020 तक वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वास्तविक व्यय, 2019–20 में 4700.00 करोड़ रु. के बजट आवंटन के मुकाबले 4505.10 करोड़ रु. (जो 95.85% है) था।

(ख) वर्ष 2020–21 के लिए मंत्रालय को आवंटित बजट 4005.00 करोड़ रुपये है, जिसमें से 81% आदिनांक तक खर्च किया गया है और वित्तीय वर्ष के अंत तक आबंटित सारा बजट मंत्रालय द्वारा खर्च किया जाएगा

(ग) चालू वित्त वर्ष में मंत्रालय द्वारा 9.18 करोड़ रुपये राशि सरकारी योजनाओं के बारे में प्रचार, सोशल मीडिया और जागरूकता कार्यक्रमों पर खर्च की गई है।

(घ) जी नहीं। 2020–21 हेतु 4005.00 करोड़ रु. के बजट आबंटन के मुकाबले 2021–22 के लिए 4810.77 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है।

(ङ) किए गए उपायों में वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले आबंटित बजट का उपयोग करने के लिए नियमित आधार पर सम्मिलित प्रयासों और निरंतर निगरानी शामिल है।

*****